



पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक (का.)
हाजीपुर

PCPO's Cir. Sl. No.54/2025

RBE No.32/2025

No.ECR-HQOPERS (RULE)/0001/2025 (Com.No.309129)

Date: As Signed

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय:- Threshold Value for Processing Inter – railway request transfer Applications.

संदर्भ:- Railway Board's letter No.-E(NG)I/2025/TR/08, Dated-16.04.2025.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information and needful onward action please.

DA: As above.

Signed by

Prakash Kumar Singh

Date: 11-06-2025 16:28:29

सकाधि/ई.एस.एम.
कृते महाप्रबंधक (का.)/पूमरे/हाजीपुर

प्रतिलिपि/— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:—

1. महासचिव/ईसीआरईयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर—कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड / (RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2025/TR/08

New Delhi, dated 16.04.2025

The General Manager (P),
All Zonal Railways/PUs.

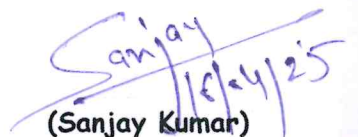
Sub: Threshold value for processing Inter-railway request transfer Applications.

Inter-railway and inter-divisional transfer applications of railway employees are now being processed through HRMS.

2. The issue has been examined and to facilitate smooth submission of transfer requests by employees in HRMS transfer module and also to enable the railway administration in processing these requests, following guidelines are issued for implementation:

- i. The Competent Authority would be able to process requests for transfer (including those which have already been processed or NOC has been obtained from the receiving Units) only if the vacancy is below a defined threshold vacancy level. (For example, if the vacancy threshold is defined at 10%, forwarding for consideration or relieving the employee on transfer can be done only if the vacancy in the category/cadre is below 10%. In other words, if the availability of manpower in that category is more than 90%, then transfer can be affected.)
- ii. The threshold vacancy will be fixed primarily for essential safety categories by the respective PHOD/GM.
- iii. The categories which are directly related to train operations and safety only will be considered as essential and safety categories.
- iv. CRIS (HRMS) will incorporate this threshold value in transfer module of HRMS. Adequate training should be given to the field staff to implement the threshold vacancy concept.
- v. Each application will be considered individually and sequentially as per the rules and the fixed threshold, and will be approved personally by the officer with the digital signature of the DRM/Forwarding Officer/Accepting Officer and shall not be delegated.
- vi. Sufficient caution should be exercised to restrict the vacancies in safety and operational categories. Transfer request should not be entertained to the non-essential and non-safety categories at the expense of safety and operational categories.
- vii. In addition to above, the existing rules and instructions on IRRT will be applicable.

This is issued with the approval of competent authority.

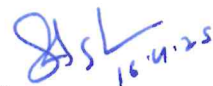

(Sanjay Kumar)
Dy. Director Estt (N)
Railway Board
E mail Id- sanjay.kumar6@gov.in

No. E(NG)I/2025/TR/08

New Delhi, dated 16.04.2025

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
12. General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.

 16.4.25

for PED(IR)/Railway Board

Advisor/MR, PS/MoSR(R), MoSR (S), EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Coord/MR
PSO to Chairman & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDRS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.

आरबीई सं. 32/2025

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/(RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)1/2025/टीआर/08

नई दिल्ली, दिनांक 16.04.2025

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: अंतर रेलवे स्थानांतरण अनुरोध के आवेदन पर कार्रवाई हेतु श्रेषहोल्ड वैल्यू।

रेल कर्मचारियों के अंतर रेलवे और अंतर मंडल स्थानांतरण संबंधी आवेदनों पर अब कार्रवाई एचआरएमएस के माध्यम से की जा रही है।

2. मामले की जांच करवाई गई है और कर्मचारियों द्वारा एचआरएमएस मॉड्यूल में स्थानांतरण संबंधी आवेदन आसानी से प्रस्तुत करने के लिए और रेल प्रशासन को भी इन आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:

- i. सक्षम प्राधिकरण स्थानांतरण के लिए आवेदनों पर केवल तब ही कार्रवाई कर सकेगा (इसमें वे अनुरोध भी शामिल हैं जिन पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है अथवा जहां स्थानांतरण किया जाना है, उन इकाइयों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया हो) जब रिक्ति एक निर्धारित श्रेषहोल्ड रिक्ति स्तर से नीचे हो। (उदाहरण के लिए, यदि रिक्ति श्रेषहोल्ड 10% निर्धारित है, तो विचार करने के लिए अग्रेषित करना या स्थानांतरण पर कर्मचारी को केवल तभी कार्यमुक्त किया जा सकता है, जब उस कोटि/संवर्ग में रिक्ति 10% से कम हो। अन्य शब्दों में, यदि उस श्रेणी में जनशक्ति की उपलब्धता 90% से अधिक है, तो स्थानांतरण किया जा सकता है।)
- ii. आवश्यक संरक्षा श्रेणियों के लिए श्रेषहोल्ड रिक्ति मुख्य रूप से संबंधित-कार्यालय के प्रधान विभागाध्यक्ष/महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- iii. वे कोटियां जो सीधे रेलगाड़ी परिचालन और संरक्षा से संबंधित हैं, केवल उन्हें ही अनिवार्य और संरक्षा कोटियों के रूप में माना जाएगा।
- iv. क्रिस (एचआरएमएस) इस श्रेषहोल्ड वैल्यू को एचआरएमएस के स्थानांतरण मॉड्यूल में दर्ज करेगा। श्रेषहोल्ड रिक्ति अवधारणा लागू करने के लिए फील्ड कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- v. प्रत्येक आवेदन को नियमों और निर्धारित मानक के अनुसार पृथक रूप से और बारी आने पर विचार किया जाएगा और इसे मंडल रेल प्रबंधक/अग्रेषित अधिकारी/स्वीकृति अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पृथक रूप से स्वीकृत किया जाएगा और इसे किसी और को सौंपा नहीं जा सकेगा।
- vi. संरक्षा और परिचालन कोटियों में रिक्तियां निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए। किसी भी कीमत पर संरक्षा और परिचालन कोटियों से गैर-आवश्यक और गैर-संरक्षा कोटियों में स्थानांतरित किए जाने संबंधी आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

vii. इसके अलावा, अंतर रेलवे स्थानांतरण अनुरोध पर मौजूदा नियम एवं निर्देश लागू रहेंगे।

इस सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

16/04/25

(संजय कुमार)

उपनिदेशक स्था. (अरापत्रित)

रेलवे बोर्ड

ई मेल आईडी sanjay.kumar6@gov.in

सं. ई(एनजी)I/2025/टीआर/08

नई दिल्ली, दिनांक 16.04.2025

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256- ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां)
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' एम्प्लोईज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

संजय कुमार

कृते प्रधान कार्यपालक निदेश(औ.सं.)/रेलवे बोर्ड